राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1793/2016/भरतपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–करापवंचन, भरतपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स एन.के.इण्डस्ट्रीज, ब्रिज इण्ड. एरिया, भरतपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी–विभाग की ओर से
श्री ओ.पी.गुप्ता, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी–व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक :–17.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 26/सीएसटी/2015–16/अ.प्रा./भरतपुर में पारित आदेश दिनांक 18.03.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2015 जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 26, 55 व 61 के तहत कायम कर रुपये 2,51,612/–, ब्याज 1,86,193/– व शास्ति राशि रूपये 5,03,225/– में से कर व ब्याज को यथावत रखते हुए, शास्ति के बिन्दु पर प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि व्यवहारी सरसों तेल के विनिर्माता/विक्रेता है। व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य के क्रेता व्यवहारियों को **'सी'** फॉर्म के समर्थन से रियायती कर दर पर माल का विक्रय किया गया। किन्तु उक्त **'सी'** घोषणा पत्रों का सत्यापन जारी करने वाले राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों से करवाये जाने पर उक्त घोषणा पत्र मिथ्या/बोगस पाये गये। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा बोगस व असत्यापित पाये गये **'सी'** फार्म पर पूर्ण करदेयता मानते हुये अधिनियम की धारा 9 सपठित अधिनियम की धारा 26, 55, एवं 61 के तहत आदेश दिनांक 25.03.2015 पारित करते हुए कुल रुपये 1,25,80,623/– के असत्यापित **'सी'** घोषणा पत्रों पर 2 प्रतिशत की दर से कर, तद्नुसार ब्याज एवं करापवंचन के आधार पर अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत अन्तर कर की दुगनी शास्ति आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील में कर व ब्याज को यथावत रखते हुए, शास्ति के बिन्दु पर प्रकरण सशक्त अधिकारी को जांच की जाकर पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर प्रतिप्रेषित आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी—विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया की माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों में बोगस/असत्यापित घोषणा पत्रों के सम्बन्ध में कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए, धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने में भूल की गयी है, जबकि शास्ति अपास्तनीय है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने शास्ति अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत **'सी'** फॉर्म की जांच कराये जाने पर घोषणा पत्र मिथ्या/बोगस पाये गये, जिसके आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा पत्रों को अस्वीकार करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने आरोपित कर एवं ब्याज की पुष्टि की गयी है, जबकि वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों में कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज की पुष्टि किये जाने सम्बन्धी आदेश की पुष्टि करते हुए, शास्ति के बिन्दु पर प्रतिप्रेषित आदेश को अपास्त किया जाता है। साथ ही धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को भी अपास्त किया जाता है।

6. फलतः अपीलार्थी—विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष